आवास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के अन्तर्गत चौफला चौराहे से ऊँचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक नहर कवरिंग तथा सडक निर्माण कार्य का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. श्री आर0 के0 सुधाशु, सचिव, लोक निर्माण विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री शैलेश बगोली, सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री हरि ओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री सी0एस0 सिंह, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी।
9. श्री आर0बी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– हल्द्वानी शहर में बाहर से आने जाने वाले यातायात जो मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र, एवं पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आते–जाते है को इस मार्ग के बन जाने से बेहतर बाईपास मार्ग बन जाने पर शहर की यातायात जाम की कठिनाई से राहत मिलेगी, साथ ही नगर क्षेत्र के नागरिकों को शहर के अन्दर आवागमन में Traffic Congestion की परेशानी से राहत मिल सकेगी। उक्त के समाधान हेतु हल्द्वानी में चौफुला चौराहे से त्रिमूर्ति मन्दिर तक नहर कवरिंग, पानी की लाईन शिफ्टिंग, विद्युत पोलों को हटाया जाना तथा 7.00 मीटर चौडाई में सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– नहर कवरिंग के उपर मार्ग का चौडीकरण किया जाना है, अतः निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– **लोक निर्माण विभाग द्वारा चौफला चौराहे से ऊँचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक मार्ग 4.5 कि0मी0 लम्बाई में 02 मीटर अतिरिक्त चौडाई के साथ 7.00 मीटर चौडाई में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य लागत रू0 597.35 लाख के सापेक्ष निम्न कार्य प्रस्तावित है :–**

- जी0एस0बी0 – 150 एम0मए0 मोटाई में।
- डब्ल्यू0बी0एम0 – 250 एम0एम0 मोटाई में।
- डी0बी0एम0 – 60 एम0एम0 मोटाई में।
- बी0सी0 – 30 एम0एम0 मोटाई में।

सिंचाई विभाग द्वारा चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक 4.5 कि0मी0 लम्बाई में नहर कवरिंग हेतु प्रेषित आगणन रू0 1070.36 लाख।

- 4.5 कि0मी0 लम्बाई में आर0आर0 1:4 पत्थर चिनाई में नहर की दीवारों का निर्माण।
- 4.5 कि0मी0 लम्बाई में 0.30 मीटर मोटाई में आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

- **जल संस्थान द्वारा चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक पेयजल पाईप लाईन शिफ्टिंग हेतु प्रेषित आगणन रू0 323.91 लाखं**
- **पॉवर कारपोरेशन द्वारा चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक विद्युत लाईन शिफ्टिंग कार्य हेतु प्रेषित रू0 83.27 लाख।**

पॉवर कारपोरेशन द्वारा पूर्व में प्रयुक्त Scrap material **के रूप में निस्तारित सामग्री की लागत रू0 10.68 लाख आगणन की कुल धनराशि से घटाये गये है।**

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2021 में सम्पन्न हुई जिसमें सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्न निर्देशों के अनुपालन के साथ आगणन में समावेश करते हुए आगणन मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिये गये :–

- ➢ कालाढूंगी के अन्तर्गत चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक नहर कवरिंग तथा सडक निर्माण कार्य हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य पहले किये जाए।
- ➢ उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु गठित आगणन में रेन वाटर कैचमेन्ट को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग निर्माण में ड्रैनेज की उचित व्यवस्था की जाए।
- ➢ कैनाल कवरिंग के दृष्टिगत सिल्ट आदि की सफाई हेतु उचित व्यवस्था किया जाए।
- ➢ जल की निकासी हेतु ड्रेनेज की उचित व्यवस्था प्राविधान की जाए।
- ➢ आम जन के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैफिक लोड के आधार पर नहर कवरिंग का औचित्यपूर्ण डिजाइन किया जाए।
- ➢ प्रस्तावित कार्य के सम्पादन हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल की अध्यक्षता में Co-ordination Committee गठित की जाए।

4.2 **अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021–2022 अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800–अवस्थापना सुविधाओं का विकास के मानक मद में रू0 35.00 करोड प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत मार्ग निर्माण एवं सुधारीकरण हेतु धनराशि प्राविधानित है।**

4.3 प्रस्तावित मार्ग पूर्व निर्मित है, मार्ग के एक तरफ सिंचाई विभाग की दो मीटर चौडाई में नहर है, नहर कवरिंग के पश्चात् मार्ग की चौडाई दो मीटर बढ जाने से मार्ग दो लेन का हो जायेगा। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग–87 एवं राज्य मार्ग–41 को जोडने वाला लिंक मार्ग होगा।

4.4 सिंचाई विभाग के अनुसार नहर का TOP वर्तमान सडक की सतह से 450 एम0एम0 ऊंचा प्रस्तावित किये जाने के कारण मार्ग में 200 एम0एम0 जी0एस0बी0 से भरान किया जाना आवश्यक बताया गया है।

4.5 मार्ग शहर की आबादी क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण मार्ग के दोनो ओर के0सी0 ड्रेन का प्राविधान किया गया है।

4.6 नहर कवरिंग एवं मार्ग चौडीकरण से पूर्व पेयजल लाईनों एवं विद्युतों लाईनों के समुचित एवं सुरक्षित रूप से शिफ्टिंग कराने हेतु विभागों के मध्य सामन्जस्य बनाते हुए कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।

4.7 सिंचाई विभाग द्वारा नहर सुदृढीकरण के कार्य इस प्रकार नियोजित किये जाये कि कृषकों को फसल की सिंचाई हेतु समय–समय पर पानी उपलब्ध रहें।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.8 परियोजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Items of Work		Amount in lakh	
		DSR	SOR	NSI
1	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के अन्तर्गत चौफला चौराहे से ऊँचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक नहर कवरिंग तथा सडक निर्माण का कार्य।		514.97	-
	6 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा 6 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0		61.79	
	Contingency and Quality Control (3% + 1%) = 4 प्रतिशत		20.59	
	योग		**597.35**	
2	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा 4.50 कि0मी0 (चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक प्रभाग) लम्बाई में नहर कवरिंग का कार्य		1070.36	
3	जल संस्थान, हल्द्वानी (चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक प्रभाग) यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य		311.22	12.69
4	उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, हल्द्वानी (चौफला चौराहे से ऊचापुल होते हुए त्रिमूर्ति मन्दिर तक प्रभाग) यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य		78.76	4.51
	Total		**2057.69**	**17.20**
	Grand Total		**2074.89 lakh**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 2074.89 लाख

4.9 योजना में **रू0 72.54 लाख की** कटौती मात्राओं में भिन्नता, सिंचाई विभाग के आगणन में Steel Reinforcement एवं HP Stone filling की मात्राओं में त्रुटिपूर्ण गणना आदि के कारण की गयी है।

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.8 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 2074.89 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया:–

5.1 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.3 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.4 नहर में Storm Water Drainage की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5.5 Canal Bed में Silting न हो इस हेतु नहर में Self Cleansing Velocity सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्राविधान किये जाय।

5.6 नहर कवरिंग एवं मार्ग चौडीकरण से पूर्व पेयजल लाईनों एवं विद्युतों लाईनों के समुचित एवं सुरक्षित रूप से शिफ्टिंग कराने हेतु विभागों के मध्य सामन्जस्य सुनिश्चित किया जाय।

5.7 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.8 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1006/734/आवास/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादून: दिनांक: 27 अगस्त, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आवास विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षण्मुगम)
सचिव (प्रभारी)